

फर्द अहकाम

(नियम 13)

[General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91]

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : खानपुर जिला झालावाड़

गीता बंसो बनाम बालचन्द चौधरी

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 212 R & W नम्बर 421 सन् 2019

क्रमांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
---------	-----------------------------------	--

जायना एक वर्ष शर्त रखी है, सप्लीकण को जर्ज नोटि बाल्य किता जल्द प्रभावली दिनांक 20/08/19 को पेज हो।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला

अज्ञात
जजकी आज पेश हुई वादनी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित हैं। वादनी का वाद जिन्हो को अदालत पर खारिज हो चुका है। ऐसे में कि इस प्रा. पत्र पर किती कार्यवाही की जासकता है।

उक्त प्रा. पत्र प्राप्ति अकर्मित धारा 212 R & W खारिज-किता जाता है। जजकी निर्णय में शुभा होकर सम्बन्ध से

गीता